बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०—17/विविध— 01—279/2026 पटना, दिनांक :— / / 2026

डॉ० प्रतिमा कुमारी, सह—प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को उनके प्रथम संतान के 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम—220A तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या—640, दिनांक—19.01.2015 के आलोक में दिनांक—01.12.2026 से 30.04.2027 तक कुल—151 (एक सौ इक्यावन) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—1744(25), दिनांक—24.08.2026 द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में डॉ० कुमारी के पक्ष में उक्त अवकाश स्वीकृति के उपरांत कुल—730—151=579 (पॉच सौ उनासी) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी शेष आदेय रहेगी।

3. डॉ० प्रतिमा कुमारी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—5632, दिनाक—26 06.2015 की कडिका—8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरांत वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग), पटना को उपलब्ध करायी जाय।

4. उक्त मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/--
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :—17/विविध— 01—279/2026 - 1346(17) पटना, दिनांक :—12/10/2026

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्राचार्य/अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डॉ० प्रतिमा कुमारी, सह—प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रराव विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई०टी०मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/10/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—संयुक्त सचिव।